सप्लाई विविध प्रकरण 90/2025 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम पंकज खत्री पुत्र विद्याप्रकाश

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 90/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		पंकज खत्री पुत्र विद्याप्रकाश फर्मः खत्री नमकीन, चाय नाश्ता कायलाना सूरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री राधेश्याम दास प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी पंकज खत्री पुत्र विद्याप्रकाश फर्म खत्री नमकीन, चाय नाश्ता, कायलाना सूरसागर रोड प्रतापनगर जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2024 को जिला प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा कायलाना सूरसागर रोड प्रतापनगर स्थित खत्री नमकीन चाय, नाश्ता, प्रतिष्ठान, जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक व अपना नाम पंकज खत्री पुत्र श्री विद्याप्रकाश बताया एवं प्रतिष्ठान पर मौके पर 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (03 भारतगैस, 01 इण्डेन) भण्डारित कर चाय,नाश्ता, मिठाईयां बनाने संबंधी व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाना पाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

सप्लाई विविध प्रकरण 90/2025 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम पंकज खत्री पुत्र विद्याप्रकाश

मौके पर पाये गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण के संबध में अप्रार्थी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ । मौके पर अवैध भण्डारित कर व्यवसायिक उपयोग करते पाए गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	बी.पी.सी.एल	177445	15.2 कि.ग्रा.	15.2 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
2.	बी.पी.सी.एल	030621	16.7 कि.ग्रा.	16.7 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
3.	बी.पी.सी.एल	262599	15.4 कि.ग्रा.	21.2 कि.ग्रा.	5.8 कि.ग्रा.
4.	आई.ओ.सी.एल	029138	16.0 कि.ग्रा.	26.0 कि.ग्रा.	10.0 कि.ग्रा.

उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री राजेश कुमार पुत्र श्री हरदेव भट्ट मैनेजर महावीर गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार राधेश्याम दास प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच कुल 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से भण्डारित कर चाय,नाश्ता बनाने हेतु व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को प्रकरण में इस कार्यालय से जारी नोटिस क्रमांक 202 दिनांक 30.04.2025 बाद तामिल प्राप्त हुआ। नोटिस तामिली उपरान्त भी पेशी दिनांक 13.06.2025 को अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में वास्ते जवाब समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 09.07.2025 को पेश हुई। वक्त बहस अप्रार्थी पुनः अनुपस्थित रहा।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

सप्लाई विविध प्रकरण 90/2025 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम पंकज खत्री पुत्र विद्याप्रकाश

"निष्कर्ष"

अप्रार्थी द्वारा बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए हमने विभागीय पेरौकार की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द का अवलोकन किया । जिस अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (03 भारतगैस, 01 इण्डेन) के अवैध रूप से भण्डारित किए पाए गए। मौका फर्द अनुसार जब्तसुदा सिलेण्डरों में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पायी गई जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर चाय नाश्ता इत्यादि बनाने हेतु व्यवसायिक उपयोग किया गया है। उक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्यों में उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (03 भारतगैस, 01 इण्डेन) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर (03 भारतगैस, 01 इण्डेन) को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित R.A.S.)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर